

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(14)नविदि/II/2007

जयपुर, दिनांक:

6 JUL 2017

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के वरिष्ठ नगर नियोजक की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री राजेश वर्मा	2010-11	दिनांक 01.12.2015 से निलम्बित
2.	श्रीमती रिकू बंसल	2010-11	आवश्यक/अस्थाई वरिष्ठ नगर नियोजक

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website: [www.udh.rajasthan.gov.in](http://www.udh.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,



(अर्जुन राम चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय